

5

हिंदी अनुवाद में ईश्वरार्थ
अ. आदेश 20 दिनांक 6-7 का प्रक्रिया महिला
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ़
पीछरीन अधिकारी:- (मांजी लाल) RAS
प्रकरण संख्या:- 214/2022

1. जगदीप सिंह किल्लो पुत्र श्री कुलदीप सिंह जाति जटसिख निवासी हनुमानगढ़ जंक्शन, तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज0) (कलमजन)
2. बलविन्द कौर पत्नी स्व0 कुलदीप सिंह जाति जटसिख निवासी हनुमानगढ़ जंक्शन, तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज0) (कलमजन)
3. सतेन्द कौर सिद्ध पुत्री श्री कुलदीप सिंह जाति जटसिख निवासी हनुमानगढ़ जंक्शन, तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज0) (कलमजन)
4. मनजिन्द सिंह पुत्र श्री अजीत सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नम्बर 01, हनुमानगढ़ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज0)
5. प्रेम साहू पुत्र श्री सुखराम जाति जाट निवासी मानसरोवर, जयपुर तहसील व जिला जयपुर (राज0)
6. प्रद्युमन एस. खिलेरी पुत्र श्री सुशील खिलेरी जाति जाट निवासी वार्ड नम्बर 01, धान मण्डी, हनुमानगढ़ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज0)


-वादीगण

बनाम्

1. कमलदीप कौर पुत्री कुलदीप सिंह पत्नी श्री नवजीत बरिंग जाति जटसिख निवासी 94 Coventry Road Leicestershire LE19 2 GB हाल निवासी हनुमानगढ़ जंक्शन, तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज0)
2. हरप्रीत कौर पुत्री कुलदीप सिंह पत्नी श्री परविन्द सिंह जाति जटसिख निवासी 62 जी.बी., तहसील विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज0)
3. हरमीत कौर पुत्री कुलदीप सिंह पत्नी श्री अमृतपाल सिंह जाति जटसिख निवासी नजदीक बैंक ऑफ पटियाला, फिरोजपुर तहसील व जिला फिरोजपुर (पंजाब)
4. तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज0)

--प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा:- 88, 53 आर.टी.ए.

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ मांजी लाल आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इन्फिसाल कर्तई करुबु हमारे बहाजरी श्री मनजिन्द सिंह लेगा वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री  भाटीवाल वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 3 व राजपैरोकार पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि:- इस न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री दिनांक 23.10.2024 की पालना में तहसीलदार हनुमानगढ़ के पत्रांक भू.अ./4165 दिनांक 19.11.2024 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वाद डिक्री किया जाता है कि:- हिस्सा मनजिन्द सिंह 5/9, हिस्सा प्रेम साहू 2/9, हिस्सा प्रद्युमन एस. खिलेरी 2/9 चक 3 एनडब्ल्यूएन प.न. 120/251 मु.न. 131 कि. न. 6/0.253, 7/253, 8/051, 13/0.050, 14-15/506, प.न. 121/251 मु.न. 132



5.12.24
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

(C)

कि.न. 10/0.0445 (कि.न. 11 के पूर्व में विपत्ता हुआ) 11/1/228, कुल 1.3855 हे.
हिस्सा कमलदीप कीर 1/3, हिस्सा हरप्रीत कीर 1/3, हिस्सा हरमीत कीर 1/3 वक 3
एनडब्ल्यूएन प.न. 120/251 मु.न. 131 कि.न. 3/0.051, 4/0.253, 5/0.253 प.न.
121/251 मु.न. 132 कि.न. 1/253, 2/253, 9/2/0.114, 10/0.2085, कुल 1.3855
हे. उक्तानुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण का खाता अलग अलग व रकमराज अलग कायमी के
आदेश दिए जाते हैं। तहसीलदार हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि यदि कोई
स्वामन/व्याधिक विवाद आदि नहीं हो व खातेदार काश्तकार का कब्जाकाश्त हो तो, उक्त
आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में इसी अनुसार अमलदरामदगी कर लगाम कायम किया जावे।
खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। विभाजन प्रस्ताव डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा।

निज XXX नल XXX मुक्लिक XXX निल XXX बाबत् XXX निल XXX खर्चा मुकदमें के मय
धुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक XXX अदा करें।

बसबत मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 5.12.2024 को जारी किया
गया।

नोट- डिक्रीत आराजी रहन हो तो, बाद रहन मुक्त के डिक्री का निष्पादन किया जावे।



(Signature)
(मांगी लाल) 5.12.24
BAS
सहायक कलेक्टर
सिवनी
उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़